



Neutral Citation No - 2026:AHC:28197-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 2025 की 29239

मुरारी यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अंजनी कुमार, अशोक कुमार गौतम, नरेन्द्र कुमार
शुक्ला

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, सौरभ द्विवेदी

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री सौरभ द्विवेदी, प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 11.11.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिससे वाद अपराध संख्या 218/2025, तहत धारा 69 भारतीय न्याय संहिता, पुलिस थाना कछवाँ, जिला मिर्जापुर उद्भूत हुआ है, को अपास्त करने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता पूर्णतः निर्दोष है और उसे परोक्ष हेतु से वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से संलिप्त किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि सुसंगत समय पर याचिकाकर्ता नगर में उपस्थित नहीं था और वह अन्यत्र उपस्थिति का अभिवचन (plea of alibi) उठा रहा है। उन्होंने आगे यह निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता वर्ष 2023 से विवाहित है और आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए अभिकथनों से याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई अपराध प्रकट नहीं होता है, अतः आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट अपास्त किए जाने योग्य है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना का प्रबलता से विरोध करते हुए यह निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता वर्ष 2023 से विवाहित है और विवाहित व्यक्ति होते हुए भी उसने छलपूर्वक निरन्तर प्रतिवादी संख्या 4 के साथ अवैध सम्बन्ध बनाए रखे हैं, अतः याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध स्पष्टतः प्रकट होता है, इसलिए आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट अपास्त नहीं की जा सकती।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आगे माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा **तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जेलानी, (2017) 2 SCC 779; नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2021) SCC Online SC 315 तथा माननीय शीर्ष न्यायालय के एक हालिया निर्णय, दण्डिक अपील संख्या 843/2024, प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी एवं अन्य** में प्रतिपादित विधि का आश्रय लिया।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा उद्धृत सुसंगत विधि को ध्यान में रखते हुए एवं इस तथ्य के दृष्टिगत कि याचिकाकर्ता वर्ष 2023 से विवाहित होते हुए भी प्रतिवादी संख्या 4 के साथ छलपूर्वक अवैध सम्बन्ध बनाता रहा है, हमारा मत है कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपराध स्पष्टतः प्रकट होता है, अतः आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट अपास्त नहीं की जा सकती।

7. इसलिए, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को अपास्त करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. उक्त के दृष्टिगत, वर्तमान रिट याचिका गुणागुण विहीन है और तदनुसार खारिज की जाती है।

9 फरवरी, 2026

के.एस.

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"